उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id- dccourt.grd@gmail.com)

PDS Appeal Case No. 08/2022

कल्याण महिला स्वंय सहयता समूह द्वारा सुमित्रा देवी–बनाम–राज्य

1	2	3
12.04.25	प्रस्तुत PDS Appeal Case कल्याण महिला स्वंय सहायता समूह, ग्राम–पीपराडीह, पंचायत–बाराडीह, प्रखण्ड–बिरनी PDS अनुज्ञप्ति सं0 05/2011 के रद्द किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बिरनी के लिखित शिकायत दिनांक 28/04/2021 एवं तद्नुसार BDO बिरनी के पत्रांक 462 दिनांक 29/04/2021 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया द्वारा PDS अनुज्ञप्ति सं0 05/2011 को आदेश ज्ञापांक 02/आ0 दिनांक 13/05/2021 द्वारा निलंबित किया गया तथा कालान्तर में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के आदेश ज्ञापांक 2229 दिनांक 20/09/2022 द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया जिसमें वादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न तथ्य रखा गयाः– 1. यह कि पूर्व में वर्ष 2020 में इस अनुज्ञप्ति को निलम्बित किया गया था तथा इन पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होने के कारण निलम्बन से मुक्त कर दिया गया था। 2. पुनः प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बिरनी तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी द्वारा कतिपय आरोप लगाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया को उक्त अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की अनुशंसा की गई तथा अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से बिना करणपृच्छा किये अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया। 3. यह कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा भी अनुज्ञप्तिधारी से बिना कारणपृच्छा किये उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। 4. यह कि किसी भी स्तर से अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा नहीं की गई जो न्यायोचित और नैसर्गिक नियम के विरूद्ध है तथा उनके अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित किया जाय।	

सहायक लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया नियमानुसार सही है।

अभिलेखबद्ध दस्तावेजों, विभिन्न पदाधिकारियों का विभिन्न समय पर प्राप्त प्रतिवेदन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह कार्यालय में संधारित संबंधित संचिका तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखे गये तर्क के आधार पर निम्न तथ्य परिलक्षित होते है:–

1. यह कि वादगत अनुज्ञप्ति का निलंबन अनाज वितरण में अनियमितता, कार्डधारियों के साथ अभद्र व्यवहार तथा निर्धारित स्थल से इतर PDS दुकान चलाने के आधार पर किया गया परंतु कोई व्यक्ति किसी के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो इसके लिए वे थाना में शिकायत करेगें न की इस पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी विचार करेंगें।
2. यह कि अनाज वितरण में अनियमितता का संदर्भ गबन या प्रतिदिन दुकान नहीं खोलना या समय पर नहीं खोलना है, यह स्पष्ट नहीं है।
3. यह कि दुकान का स्थल बगल में किये जाने के पीछे क्या कारण रहा इसकी न तो जाँच की गई और न ही जानने की कोशिश की गई। बरसात, संचालित दुकान के क्षतिग्रस्त या अन्य कई कारण जिससे भण्डारित अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इन तथ्यों के आधार पर जाँच नहीं किया गया है।
4. संपूर्ण अभिलेख में तथा अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया द्वारा निर्गत निलंबन आदेश तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा निर्गत आदेश में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि अनुज्ञप्ति के निलंबन तथा रद्द करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा की गई है या नहीं और न ही इससे संबंधित कोई नोटिस/कागजात अभिलेख या संबंधित संचिका में पाया गया।
5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने का आदेश ज्ञापांक 2229 दिनांक 20/09/2022 में वर्णित है कि **"यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तो, कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों तथा राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके स्पष्टीकरण से असंतुष्ट रहने पर अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन पदाधिकारी, लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकता है।"** परंतु स्वंय जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया गया, जो Control Act 2022 की धारा IV की कंडिका XIX का उल्लंघन है, जिसे मान्य नहीं किया जा सकता है।
6. वादी के विज्ञ अधिवक्ता का यह अभिकथन कि " That from impugned order there is no averment that before concealing the P.D.S Licence no 05/2011 the appellants were shown-cause about the irregularity and Suo-Moto on

rival report of block supply officer, Birni cancelled the license of the PDS shop which is violation of mandatory provision and also violation of natural justice." नियमसंगत प्रतित होता है तथा वादगत अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करना स्थापित एवं नैसगिक नियमों के आलोक में उचित प्रतित होता है।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर PDS अनुज्ञप्ति सं0 05/2011 को निलंबित करने संबंधित निर्गत आदेश 02/आ0 दिनांक 13.05.2021 तथा अनुज्ञप्ति रद्द करने से संबंधित निर्गत आदेश 2229 दिनांक 20.09.2022 को रद्द किया जाता है तथा PDS अनुज्ञप्ति सं0 05/2011 को Restore (पुनर्जीवित) किया जाता है तथा तद्नुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चत करेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

12/04/25
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

12/04/25
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 515 /न्या0 दिनांक 12/4/25

प्रतिलिपिः–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/04/25
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2025.04.16 22:02:57 +05:30
Location: fd01::560:91d6:2f0e:9686